विवाद विहीन ग्राम योजना के मुख्य बिंदु

विवाद विहीन ग्राम क्या है ?

- ऐसा ग्राम जहाँ कोई विवाद न हो।
- विवाद उत्पन्न होने पर – सामंजस्यपूर्ण निपटारा।
- विवाद न्यायालय में होने पर–मध्यस्थता या लोक अदालत से निपटारा।

स्वयंसेवी सेवादल का गठन व दायित्व

- स्थानीय शासकीय पदेन सदस्यों के अतिरिक्त चयनित दो स्थानीय प्रतिष्ठित, निष्पक्ष व समाजसेवी प्रतिनिधि होंगे। चयनित प्रतिनिधि पैरालीगल वालेन्टियर (पी.एल.वी.) के रूप में सेवायें देंगें ।
- विवादों का परस्पर सूझबूझ व सुलह से सामंजस्यपूर्ण निराकरण।

विधिक सेवा प्राधिकरण के दायित्व

- स्थानीय प्रशासन के समन्वय से आधारभूत सुविधाओं व कल्याणकारी योजनाओं का ग्रामवासियों को लाभ पहुँचाना।
- 30 से 40 गांवों हेतु लीगल एड क्लीनिक की स्थापना, प्रचार–प्रसार एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन।
- लीगल एड क्लीनिक में चयनित पैरालीगल वालेन्टियर (पी.एल.वी.) सेवाएं देंगें।
- दूरभाष नंबर, पी.एल.वी. के बैठक दिवस व समय एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी का डिस्पले बोर्ड।
- विवादों के निराकरण का रजिस्टर संधारण।
- सचिव, जिला प्राधिकरण द्वारा मासिक समीक्षा बैठक।
- अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण द्वारा मॉनिटरिंग सेल की बैठक में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व अन्य विभागों के समन्वय से समस्याओं का समाधान।
- ग्राम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत मामलों के न्याय निर्णयन में ग्राम न्यायाधिकारी से समन्वय।

संपर्क हेतु टोल फ्री नं. 15100